FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री हरिसिंह लम्बोरा, निवासी 80, बृजराज इन्कलेव, पांच्यावाला, जयपुर (राज.) 302034

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 10 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	542-43 6/5/19
29/5/19	अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली द्वारा उसके प्रार्थना पत्र पर वांछित सूचना उनको उपलब्ध नहीं कराई है, जो करवाई जावें। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली को जरिये पत्रांक 542 दि. 6/5/19 के द्वारा लिखा जाकर उक्त सूचना बाबत निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली ने अपने पत्रांक 1076 दिनांक 21.5.19 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलाण्ट को वांछित सूचना जरिये पत्रांक रा.लो.सू.अ./प्र.अ.10/2019/1075 दि. 21/5/2019 के जरिए उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी का पत्र शामिल मिसल है। इस अपील के संदर्भ में अब किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील Drop की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से जरिये शुमार फैसल की जाकर नत्थी से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	755 4/6/19